उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-25/2019/393/92-2-19-100जांच/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 11 फरवरी,2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-गौतमबुद्ध नगर के ग्राम रबूपुरा में परिमण्क्ष-मेरठ के समस्त अधिकारियों की दिनांक 25.09.2017 को मा0 मंत्रीजी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 की अध्यक्षता में आहूत बैठक में मा0 मंत्रीजी ने श्री देवेन्द्र बाल्यान, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू -बागपत द्वारा विगत 05 वर्षो में कराये गये कार्यो की टी0ए0सी0 जॉच कराये जाने के दिये गये आदेशों के अनुपालन में शासन के पत्र सं0-1951/92-2-17-100जांच/2017, दिनांक 10.11.2017 द्वारा टी0ए0सी0 से प्रश्नगत प्रकरण की जॉच कराकर आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

2- मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र सं0-सी-100/पीए-सीटीई/2832/172/16/2017-18 दिनांक 31-12-2018 द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में यदयपि किसी कार्य में कोई शासकीय क्षति परिलक्षित नही पायी गयी तथा मार्ग के अधिकांश कार्य मानक के अनुरूप पाये गये है, परन्तु उक्त जॉच आख्या में प्रश्नगत सडक निर्माण के दौरान काम्पैक्शन मानक के अनुरूप नही पाया गया, जिसके लिये श्री बाल्यान को अपने पर्यवेक्षीय दायित्वों में शिथिल नियंत्रण के लिये उत्तरदायी पाया गया।

2- मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री बाल्यान को अपने पर्यवेक्षीय दायित्वों के शिथिल नियंत्रण के लिये उत्तरदायी पाये जाने पर उन्हें भविष्य के लिये सचेत किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-25/2019/393/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री देवेन्द्र बाल्यान तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, पीआईयू-बागपत सम्प्रति महाप्रबंधक (परि0) यमुना एक्सप्रेस वे, औदयोगिक विकास प्राधिकारी, नोएडा(उ0प्र0 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in